संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

डी. के. एस. परिसर, रायपुर 492001,
फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स – 2221641, ईमेल – cgayush@gmail.com

क्रमांक / 1 / स्था. / राज. / महा. / प्रवेश / 2021–22 / 405 रायपुर, दिनांक 10 FEB 2022

बी.ए.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. / बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम सत्र 2021–22 में राज्य के निजी आयुष महाविद्यालयों की अखिल भारतीय कोटा (All India Quota) की सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन सूचना :–

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2021 की प्रावीण्यता सूची के पात्र एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम 2018 की कंडिका 2 एवं होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) संशोधन विनियम, 2018 की कंडिका 2 में निर्दिष्ट प्रवेश हेतु योग्यता रखने वाले भारत के निवासी अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के **निजी आयुष महाविद्यालयों की अखिल भारतीय कोटा (All India Quota)** की सीटों पर आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक हैं, वे अभ्यर्थी दिनांक **12.02.2022 से 21.02.2022** तक ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कर सकते है।

पंजीयन एवं ऑनलाईन सीट आबंटन हेतु समय सारणी

क्र.	काउंसिलिंग कार्यक्रम	तिथि
(1)	(2)	(3)
01.	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि	**12.02.2022 से 21.02.2022** मध्य रात्रि 11:59 बजे तक
02.	रजिस्ट्रेशन फॉर्म में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि	21.02.2022 मध्य रात्रि 11:59 बजे तक
03.	प्रथम चरण का सीट आबंटन (Allotment -1)	25.02.2022 दोपहर 02:00 बजे
04.	आबंटित संस्था में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि	04.03.2022 सायं 05:00 बजे तक
05.	रिक्त सीटों की जानकारी अपलोड करना	08.03.2022 सायं 05:00 बजे
06.	द्वितीय चरण का सीट आबंटन (Allotment -2)	09.03.2022 दोपहर 02:00 बजे
07.	आबंटित संस्था में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि	16.03.2022 सायं 05:00 बजे तक

नोट :– कृपया काउंसिलिंग कार्यक्रम हेतु निम्न वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन अवश्य करते रहें। आबंटन सूची (Allotment list) **का अवलोकन एवं डाउनलोड करने के लिये अपने आई.डी. तथा पासवर्ड का प्रयोग करें।**

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने की विधि एवं आवश्यक जानकारियों का अवलोकन निम्न वेबसाईट पर किया जा सकता है:–

1. www.cghealth.nic.in/ehealth/dishm/councellinginfo.html
2. www.gacraipurcg.in
3. www.gac.bilaspur.gov.in

क्रमशः 02.....

निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों की अखिल भारतीय कोटे की सीटों का प्रावधिक विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	निजी आयुष महाविद्यालयों का नाम		कुल सीट
(1)	(2)		(3)
1	आयुर्वेद	राजीव लोचन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, चंदखुरी, दुर्ग	9
2		छ.ग. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मनकी, राजनांदगांव	9
3		भारती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल पुलगांव चौक दुर्ग	15
4		महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस राजनांदगांव	9
5	होम्योपैथी	सी. एल. चौकसे मेमो. होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, लालखदान बिलासपुर	15
6		रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महा. एवं चिकित्सालय रामकुण्ड, रायपुर	7
7		महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर	7
8	यूनानी	मोहसिने मिल्लत यूनानी मेडि. कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल बैजनाथ पारा, रायपुर	6
कुल सीटों की संख्या			77

नोट :– 1. सीटों की संख्या परिवर्तनीय है। उक्त सीटों पर आरक्षण नियम लागू नहीं होगा। संबंधित संस्था हेतु भारत सरकार आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीट संख्या अंतिम तथा मान्य होगी।

2. आयुष महाविद्यालयों जिन्हे भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली/राज्य शासन से अनुमति/मान्यता तथा संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होगी, उन्हीं महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

3. रजिस्ट्रेशन करने के पूर्व वेबसाईट में उपलब्ध भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम 2018, होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) संशोधन विनियम 2018, छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 यथा संशोधन एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियम/निर्देशों का भली–भांति अवलोकन किया जावे।

4. प्रवेश एवं काउंसिलिंग से संबंधित अन्य निर्देश/सूचना की अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

5. सत्र 2021–22 में प्रावधिक आबंटन से पूर्व अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण नहीं किया जा रहा है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करते समय विशेष सावधानी रखे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में त्रुटि होने पर या गलत जानकारी दिये जाने पर रजिस्ट्रेशन/आबंटन निरस्त किया जायेगा तथा नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। इस संबंध में संचालनालय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

आबंटित संस्था में प्रवेश हेतु आवश्यक मूल दस्तावेजों (Original Documents) की सूची :–

01. नीट (यू.जी.) 2021 परीक्षा का प्रवेश–पत्र।
02. नीट (यू.जी.) 2021 की अंकसूची।
03. दसवीं की मूल अंकसूची।
04. बारहवीं की मूल अंकसूची।
05. जन्म प्रमाण–पत्र (यदि हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में उल्लेख नहीं हो तो)।

क्रमशः 03.....

06. 08 पासपोर्ट साईज फोटो (जैसा आवेदन–पत्र में लगाया गया है)।

07. ऑनलाईन Canditate Registration एवं Payment Receipt की प्रति

08. ऑनलाईन प्राप्त प्रोविजनल आबंटन–पत्र (Allotment letter)।

09. पहचान–पत्र (आधार कार्ड / पैन कार्ड / ड्राईविंग लाईसेंस / पासपोर्ट)।

10. अभ्यार्थियों को चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी। **इस हेतु उन्हें सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. अध्ययन में यदि व्यवधान हो तो कारण सहित नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (गैप सर्टिफिकेट) अनिवार्य है।

12. प्रवास प्रमाण पत्र (Migration Certificate)।

13. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate)।

14. चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)।

उक्त समस्त दस्तावेजों की दो–दो फोटोकॉपी अवश्य रखें।

15. **निजी आयुष महाविद्यालयों के प्रति वर्ष शैक्षणिक शुल्क का विवरण :–**

महाविद्यालय का नाम	शैक्षणिक शुल्क (रू.)
1. राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय चंदखुरी दुर्ग,	1,28,315 /–
2. छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, मनकी राजनांदगांव	1,28,315 /–
3. भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग,	1,28,315 /–
4. महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, सुन्दरा राजनांदगांव	1,28,315 /–
5. छदामी लाल चौकसे मेमो. होम्योपैथी चिकि. महाविद्यालय बिलासपुर	66,129 /–
6. रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, रामकुण्ड, रायपुर	66,129 /–
7. महाराणा प्रताप होम्यापैथी मेडि.कालेज, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर	63,129 /–
8. मोहसीने मिल्लत यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, बैजनाथ पारा, रायपुर	66,900 /–

यदि कोई सेमेस्टर एक वर्ष छः माह का है तो अभ्यर्थी से अनुपातिक एक वर्ष छः माह का शुल्क लिया जावेगा। उक्त शैक्षणिक शुल्क की राशि में शासन / प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा संशोधन / परिर्वतन किया जा सकता है।

16. आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उच्चतम आयु सीमा का अंतिम निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर यायिका क्रमांक SLP(C) 14320/2018 मे पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

नोट :– सभी निजी आयुष महाविद्यालयों के आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों की सभी सीटों का आबंटन संचालनालय आयुष, रायपुर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। अतः किसी व्यक्ति / संस्था / एजेंसी के प्रलोभन में न फंसे।

10/2/2022

संयुक्त संचालक

आयुर्वेद,योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुश) छत्तीसगढ़